

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

ਜਂ. 26] No. 26] नई दिल्ली, जून 20—जून 26, 2010, शनिवार/ज्येष्ठ 30-आवाढ़ 5, 1932

NEW DELHI, JUNE 20-JUNE 26, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 30-ASADHA 5, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 2010

सा.का.नि. 104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. संघ लोक सेवा आयोग (केयर टेकर) भर्ती नियम, 2000 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

(449)

पद का नाम	पदों की संख्या			मनुसूची		
	3523	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	है या नहीं
केयर टेकर	02* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	ਕੇਰਜ ਕੈਂਡ-1, 5200-20200 ਨ. + ग्रेड ਕੇਰਜ 2800 ਨ.	लागू नहीं होता	The second secon	नहीं

2011624	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नित की दशा में लागू होंगी या नहीं	ों परिवीक्षा की अवधि, यदि एं कोई हो (10)
(8)	(0)	
 किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य, 	6	
 स्वच्छता विज्ञान या लोक स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या विद्युत/सिविल इंजीनियरी/स्वच्छता विज्ञान इंजीनियरी में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, और 	नहीं 🐯	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

 कार्यालय भवनों के अनुरक्षण में डिप्लोमा धारकों की दशा में दो वर्ष और प्रमाणपत्र धारकों की दशा में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अर्घ्यार्थयों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति/प्रविनियुक्ति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :--

(12)

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या
- (ii) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 2400 रु. सहित या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (iii) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 2000 रु. सहित या समतृल्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (iv) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. में ग्रेड वेतन 1900 रु. सहित या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तेरह वर्ष नियमित सेवा की है, और
- (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

वेतन बैंड—1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. के ऐसे विभागीय सहायक केयर टेकर के संबंध में भी जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर तेरह वर्ष की सेवा की है, अन्य बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा । यदि पद पर विभागीय अभ्यर्थी का चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नित द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या कुछ अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना किए जाने के प्रयोजन के लिए तारीख । जनवरी, 2006/वह तारीख जब से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर तदनुरूप लागू किए गए ग्रेड वेतर्न/वेतनमान में की गई सेवा मानी जाएगी । प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा तारीख । जनवरी, 2006/वह तारीख जबसे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा समझी जाएगी सिवाए इसके उन मामलों को छोड़कर, जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में समामेलन किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन्हीं पदों के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक र आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	करने के लिए) लागू नहीं होता।
 अपर सिचव (प्रशासन, नियुक्तियां, सामान्य, सेवा-। और भर्ती संयुक्त सिचव (प्रशासन) 	नियम) —अध्यक्ष
3. उप-सचिव (सामान्य)	—सदस्य —सदस्य

राकेश मोज़ा, अवर सचिव टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3 तारीख 6 जनवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 18th June, 2010

- G. S. R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2000
- 1. (1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment (Amendment)
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1 THE PERSON

2. For the Schedule to the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2000, the following Schedule shall be substituted, namely :--

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay /Pay Scale	Whether selection post or Non- selection post	Age limit for direct re-	oruits Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Educationa Recruits	02*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	Service,		Whether a qualification	the age of 40 years case of general cand and upto 45 years in the of candidates belong the Scheduled Cast the Scheduled Trib accordance with instructions or or issued by the Cerogovernment from the time). Note.—The crucial determining the age shall be the closing for the receipt of application from candidates in (and not the cludate prescribed for in Assam, Megha Arunachal Pramizoram, Man Nagaland, Tripura, Si Laddakh Division of Jand Kashmir State, Land Spiti District and Sub-division of Ch District of Him Pradesh, the Union terof the Andaman Nicobar Islands Lakshadweep).	s upto in the idates e case ging to tes or tes in the rders entral me to ate for limit date cations India osing those alaya, desh, nipur, ikkim, ammu cahaul Pangi iamba achal rritory
				case of pro		
	(8)				(9)	(10)
or eq (2) Diplo or Dip	uivalent; ma/Certificate	recognised Boar in Sanitary or Put in Electrical/Civil g; and	blic Hygiene		No	Two years for direct recruits

(3) Two years' experience in case of Diploma holders and five years' in case of Certificate holders in maintenance of office buildings.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made

(11)

- (1

(12)

Promotion/Deputation, failing which by direct recruitment.

Deputation/Promotion:

Officers under the Central Government or State Government,—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent; or
- (iii) with ten years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2000 or equivalent; or
- (iv) with thirteen years' regular service in posts in the scale of PB-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The Departmental Assistant Caretaker in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900 having thirteen years service in the grade on regular basis, shall also be considered along with the outsiders. In case the Departmental candidate is selected to the post, it will be deemed to have been filled by promotion.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 4: For the purpose computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay-scale extended based on the recommendation of the Commission. For the purpose appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any ungradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what i	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment (14) Not applicable	
(13)		
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— 1. Additional Secretary (Administration, Appoint General, Services-I and Recruitment Rules)		
2. Joint Secretary (Administration)	Member	
3. Deputy Secretary (General)	-Member	
		[F. No. 39021/09/2009-Estt. (B)]"
38		RAKESH MOZA, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 3, dated the 6th

day of January, 2001.

नई दिल्ली, 18 जून, 2010

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, सर्विधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1987 और पर्यावरण और वन मंत्रालय (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हैं या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-1, अनुसंधान अधिकारी (पर्यावरण) श्रेणी-11 और अनुसंधान सहायक (पर्यावरण) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—